

अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

नीमकाथाना

मन्जू देवी वगै०

बनाम

झाबर मल वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 109 सन 2020

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
मुकदमा जो इस
हुकम की तारीख
से जारी हुई

प्राथमी पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद भट्टिया एडवोकेट हरिहर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाने। प्रार्थीगण अधिकांशतः से इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर कमील प्रार्थी को सुना गया। कमील प्रार्थी का कथन है कि प्रत्यगत भूमि पञ्चकालन की संयुक्त छालेपारी की भूमि है जिसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अन्तर्गण बिना विभाजन करवाये गीत पर विस्तार कर गीतक शूरत तब्दील करने पर आमतः है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अन्तर्गण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाने।

प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आवश्यकता को देखते हुए एवं प्रार्थीगण के गीतों को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभय पक्षा को आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.09.2020 तक सम्भव किया जाता है कि अन्तर्गण आराजी ख नं 795, 796, 797, 798 सुल किला 4 तका 2.30 है। अवशिष्ट ग्राम मालनगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में कोई अन्य पक्षक निर्माण नहीं करें।

प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि अन्तर्गण के नोटिस की तारीख को आगामी व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अन्तर्गण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को तब तक स्थगित से प्रस्तुत किया हुआ भरणकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। तिलाज राठी / प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अन्तर्गण पर एक पक्षीय आदेश की तारीख की तारीख अवश्य करें तथा आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्तर्गण अन्तरिम आदेश को आजन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में सरोधन / पैकट कर दी जायेगी। अन्तर्गण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 09.09.2020 को पेश हो।



913120

वकील श्री उषा अग्रणी सं 1, 2, 11, 12
 कि और से श्री रामचंद्र कमल ने
 वकालतनामा पेश रिया जो दफे में
 शामिल किया गया। अग्रणी सं 13 कि
 तारिख सम्पन्न रूप से हो चुकी है। धार-2
 कावाज दिलाई जाने पर श्री अग्रणी सं
 13 कि और से कोई उपस्थित नहीं उभा
 मत्, अग्रणी सं 13 के विरुद्ध एड पत्रीप
 कार्यवाही कमल में लाई जाती है। शेष
 अग्रणीगण कि तारिख सम्पन्न रूप से नहीं
 होना पाई जाती है पुन, नोटिस तलबाना
 पेश को। नोटिस तलबाना पेश होने पर
 तारिख जारी हो। पत्रावली विरुद्ध वाले
 जबाब व तारिख हेतु दिनांक 21.9.20 को
 पेश हो। श्री. आई आदेश नियत विधि लक्ष
 व्यवस्था जाता है।

21.9.20

बकुलाप उषा अग्रणीगण कि तलबी
 हेतु नोटिस तलबाना पेश को। नोटिस तलबाना
 पेश होने पर तारिख जारी हो। पत्रावली वाले
 तारिख व जबाब दिनांक 16.10.20 को पेश हो।

16/10/20 पत्रावली पेश हुई। बकुलाप साहिब
 P.O साहब दीगर कार्य में कार्य
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/12/20
 को पेश हो

नेवा हर्द। बकुलाप उपस्थित

16/5/23

पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारी
सामुहिक अवकाश पर होने के कारण
पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 11/7/23
नियत की जाती है। 8

11/7/23

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप जपास्थता
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ हैं।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/10/23
को पेश हो।

2

16/10/23

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उप.।
P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्थ
होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 18/1/24 को पेश हो। M

18/1/24

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप जपास्थता।
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ हैं।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/3/24
को पेश हो।

2

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना व वकील प्रार्थी अनुपस्थित
कारण-कारण अवकाश लगावके के उपरान्त भी प्रार्थी
की उम्मीद के कोई उपस्थित नहीं आया। अतः
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्वय निम्नलिखित अर्थ
वाक्य अर्थ परी में स्वीकृत किया जाता है।
पत्रावली फिलहाल शुद्ध होकर अम्मा के रूप में
फिर दाखिल हो।

(राजनीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नोमकाथाना (राज.)